



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 16.12.2024

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप वर्ष-2022 में थाना अतर्रा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानों की सजा ।

**विवरण-** पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में थाना अतर्रा क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव की रहने वाली महिला द्वारा थाना अतर्रा पर सूचना दी कि दिनांक 09.05.2022 को अभियुक्त सुंदर कोरी द्वारा उनकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया । सूचना पर तत्काल थाना अतर्रा पर मु0अ0सं0 135/2022 धारा 376 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री अनूप कुमार दूबे द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 21.05.2022 को रिकॉर्ड 11 दिन के भीतर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्नर आरक्षी अनिल रायकवार तथा पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

### अभियुक्त-

1. सुंदर कोरी पुत्र द्वारिका निवासी पथरा थाना अतर्रा जनपद बांदा ।